उत्तर प्रदेश सरकार

पशुधन अनुभाग–1

संख्या–1385/37–1–2015–5(21)/08

लखनऊ दिनाँक– 23 मार्च, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा सेवा नियमावली, 2015

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा नियमावली, 2015 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति **2.** उत्तर प्रदेश पशु–चिकित्सा सेवा में समूह ''क'' और समूह ''ख'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें **3.** जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में––

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हैं।

(ड.) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से हैं।

(च) ''निदेशक'', ''अपर निदेशक ग्रेड-।'', ''अपर निदेशक ग्रेड-2'', ''मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक'', ''उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/उप निदेशक/अधीक्षक'' या ''पशुचिकित्सा अधिकारी'' का तात्पर्य पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के क्रमशः निदेशक, अपर निदेशक ग्रेड-।, अपर निदेशक ग्रेड-2, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक, उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/उप निदेशक/अधीक्षक, या पशुचिकित्सा अधिकारी से हैं;

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से हैं;

(ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से हैं;

(ञ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की

अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट)''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा से है;

(ठ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् या आमेलन से की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हों;

(ड़) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी हैं:

क0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1.	पशुचिकित्सा अधिकारी	1123	842	1965
2.	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/उप निदेशक/अधीक्षक	467	-	467
3.	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक	137	03	140

4.	अपर निदेशक ग्रेड–2	20	01	21
5.	अपर निदेशक ग्रेड–1	04	–	04
6.	निदेशक	01	01	02

परन्तु यह कि:–

{क} नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

{ख} राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें;

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत 5– सेवा में विभिन्न श्रेणियो के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:

(1) पशु चिकित्सा अधिकारी– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) उप निदेशक – मौलिक रूप से नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

(3) संयुक्त निदेशक – मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संवर्ग में कुल तेरह वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो,

को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है।

(4) अपर निदेशक ग्रेड–2 – मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों जों भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संवर्ग में कुल अठारह वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है।

(5) अपर निदेशक ग्रेड–। – मौलिक रूप से नियुक्त अपर निदेशकों ग्रेड–2, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निदेशकों ग्रेड–2 में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को संवर्ग में कुल बीस वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है।

(6)निदेशक – मौलिक रूप से नियुक्त अपर निदेशकों ग्रेड–1 जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निदेशकों ग्रेड–1 में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम

दिवस को संवर्ग में कुल बाइस वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए पात्रता के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पणी:-(एक) उप निदेशक के पद में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक के पद सम्मिलित हैं।

(दो) संयुक्त निदेशक के पद में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का पद सम्मिलित हैं।

आरक्षण 6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार--अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के

अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8- सेवा में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताए होनी आवश्यक हैं:

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन में स्नातक(बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0) की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या

समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम,1984 (अधिनियम संख्या 52, वर्ष 1984) की धारा 2 के खण्ड(ग) में यथा परिभाषित मान्यता प्राप्त अन्य पशुचिकित्सा अर्हता।

(2) उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा परिषद से विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हताये **9**- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, यदि वह:

(क) स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या उच्चतर अर्हता रखता हो, या

(ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,या

(ग) राष्ट्रीय कैडट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु **10**- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ प्रकाशित की जाये, पहली जुलाई को क्रमश: 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र **11**- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 13- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले।

यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग–पॉच–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण 14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियॉं आयोग को सूचित की जायेगीं।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15–(1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन–पत्र आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमन्त्रित किए जायेगें।

(2) आयोग, नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधत्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित करेगा, जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, जैसा वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर रखा जायोग। आयोग, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया 16– **(1)** पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन, लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के

माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावाली, 1994 में दिए गए मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी: चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित उचित समझे जांय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3)चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे जो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4)चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः--नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 17- **(1)** नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामो का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

परिवीक्षा 18- **(1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जानेपर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली-2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम(2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता हैं।

स्थायीकरण 19- **(1)** उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि

(क) उसने विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता **20-** सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान **21-** **(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं-

क्र0 सं0	**पद का नाम**	**वेतनमान**		
		वेतन बेण्ड का नाम	**तत्सदृश वेतन बैण्ड(रूपया)**	**तत्सदृश ग्रेड वेतन(रूपया)**
1.	पशुचिकित्सा अधिकारी	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	5400
2.	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी /उप निदेशक/अधीक्षक	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	6600
3.	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	7600

	/सयुंक्त निदेशक			
4.	अपर निदेशक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700
5.	अपर निदेशक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8900
6.	निदेशक	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000

परिवीक्षा अवधि में वेतन 22–

(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हों और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो,

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जवतक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे;

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे;

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 23– किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 24– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 25– जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती हैं वहाँ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह कि, जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 26- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हों।

आज्ञा से

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।